न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 79/2018/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

तारीख दायराः 18.9.2018

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

रामदयाल शर्मा आत्मज नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी झांवर तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. लालचंद पिता गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड।
2. रामबिलास पिता गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड।
3 शान्तिबाई पत्नी गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड।
4 रामदुलारी उर्फ शीला पुत्री गजानन्द पत्नी संतोष कुमार सोनी जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड हाल निवासी 206 कुशल नगर सांगानेर जयपुर जिला जयपुर राज0।
5 प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद पिता हरिकिशन जाति सुनार निवासी जावर हाल निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड।
6 गोवर्धन सोनी पिता हरिकिशन सोनी जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहर थाना जिला झालावाड।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना जिला झालावाड।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट

:::निर्णय:::

दिनांक 27.8.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 61/अपील/17 बउनवान रामदयाल शर्मा बनाम लालचंद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 4.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा न्यायालय ग्राम पंचायत जावर पं0 सं0 मनोहरथाना दिनांक 6.6.1981 नामा0 सं0 215 ग्राम जावर से अप्रसन्न होकर नामा0 न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्त, विधि के विपरीत होने से अपास्त करने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 4.5.2018 को अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का मेरिट पर निर्णय नही कर मियाद के बिन्दू पर ही खारिज करने मे त्रुटि की है। आराजी ख0 नं0 395 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि बंटवारा अनुसार सम्पूर्ण भूमि कब्जे काश्त की हरिकिशन से दिनांक 7.4.1981 को जरिये रजिस्ट्री क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही अपीलांट काबिज चला आ रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र आराजी का नामा0 सं0 215 अपीलांट के हक मे खोला गया परन्तु नामा0 जो तस्दीक किया गया वह 1/2 भाग पर ही किया गया जो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण होने से अपील अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दू पर गोर किये बिना अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.5.2018 निरस्त की जावे एंव नामान्तरकरण सं0 215

दिनांक 6.6.1981 निरस्त किया जाकर ख0 नं0 395 की 2 बीघा 15 बिस्वा आराजी पर अपीलांट के हक मे नामा0 तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 व उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः रेस्पो0 की तामील पूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये बिना ही अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है। बहस मे बताया कि डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया था जिसका रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब नही दिया ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय मानकर अपील का मेरिट पर निर्णय करना चाहिये था। विवादित आराजी जरिये पंजीकृत अपीलांट द्वारा क्रय की गई थी किन्तु नामा0 सं0 215 दिनांक 6.6.81 केवल 1/2 हिस्से का तस्दीक कर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानी गई।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे भीषण गर्मी के कारण तबियत खराब होने से चलने फिरने मे असमर्थ होने के कारण अपील विलम्ब से पेश करना वर्णित किया गया तथा वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। चूंकि प्रकरण मे रेस्पो0 अथवा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायालय हाजा मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाती है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 215 दिनांक 6.6.1981 ग्राम जावर के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड के यहां दिनांक 13.7.2017 को लगभग 37 वर्ष की देरी से पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देरी का कारण ठोस एंव युक्तियुक्त नही होने से अपील को मियाद के बिन्दू पर जेरअपील निर्णय दिनांक 4.5.2018 से खारिज किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसके द्वारा डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र धारा 5 मियाद का पेश किया गया था जिसका रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब नही दिया ऐसी स्थिति मे अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज नही कर प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय मानकर अपील का मेरिट पर निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण सं0 215 दिनांक 6.6.81 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.7.2017 को होना वर्णित किया है जो समुचित एवं ठोस आधार अभिलेख के अभाव मे युक्तियुक्त नही माना जा सकता। मियाद के संबध मे विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकट अभिमत अनुसार देरी का प्रतिदिन का ठोस कारण वर्णित किया जाना चाहिये जिस पर न्यायालय विश्वास कर सके। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा देरी के संबध मे कोई ठोस व युक्तियुक्त आधार न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रकट अभिमत मे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 4.5.2018 न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्रम 3 शांतिबाई पत्नी गजानंद की दिनांक 24.4.2019 को तलबी हेतु जारी नोटिस मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा शातिबाई रेस्पो0 क्रम–3 की मृत्यु होना अंकित कर अदम तामील इस न्यायालय को वापस प्रेषित किया है जो न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क्रम–3 शांतिबाई के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई चाराजोही नही की है ना ही कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 क्रम–3 के विरूद्ध अपील अबेट की जाकर उपरोक्त विवेचन अनुसार शेष रेस्पो0 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त